पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 643644, 213073 फैक्स 424329, 213073
www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 972 /प्रशा./15, बिलासपुर, दिनांक 25/07/2015

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की 42 वीं (आपात) बैठक दिनांक 18/07/2015 के प्रस्ताव कमांक 09 में लिये गये निर्णय के परिपेच्छ में **"क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन नियम"** को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

25/7/15

कुलसचिव

पृ. क्रं. 973 /प्रशा./15, बिलासपुर, दिनांक 25/07/2015

प्रतिलिपि –

1. कुलपति के निज सचिव/कुलसचिव के निज सहायक के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त क्षेत्रीय समन्वयक बिलासपुर/रायपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि
4. समस्त विभागाध्यक्ष —————— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित महाविद्यालय —————————————————— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन नियम

(Refer Section of University Statutes No 3(A) 31)

1. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र राज्य शासन द्वारा संचालित शासकीय महाविद्यालय में संचालित होंगे।

2. शासकीय महाविद्यालय में अध्ययन केन्द्र संचालन होने की स्थिति में प्रत्येक महाविद्यालय का प्राचार्य अध्ययन केन्द्र का पदेन "अध्ययन केन्द्र समन्वयक" (Study Centre Coordinator) होगा।

   यह भी कि पूर्व व्यवस्था अनुसार अध्ययन केन्द्र में सहायक समन्वयक एवं सहायक पदस्थ होने की स्थिति में एक अध्ययन केन्द्र में निम्नानुसार स्टाफ होंगे –

(अ)	शासकीय महाविद्यालय का प्राचार्य (पदेन)	–	अध्ययन केन्द्र समन्वयक
(ब)	अध्ययन केन्द्र में पदस्थ सहायक समन्वयक	–	सहायक समन्वयक
(स)	अध्ययन केन्द्र में पदस्थ सहायक	–	सहायक

   यह कि अध्ययन केन्द्र समन्वयक के निर्देशन एवं नियंत्रण में सहायक समन्वयक एवं सहायक कार्य करेंगें।

3. ऐसे शासकीय महाविद्यालय जहाँ अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं है, वहाँ निम्नानुसार व्यवस्था होगी –

(अ)	शासकीय महाविद्यालय का प्राचार्य (पदेन)	–	अध्ययन केन्द्र समन्वयक
(ब)	प्राचार्य द्वारा नामित महाविद्यालय का एक शिक्षक	–	सहायक समन्वयक
(स)	महाविद्यालय में पदस्थ लिपिक	–	लिपिक
(द)	महाविद्यालय में पदस्थ भृत्य	–	भृत्य

4. अध्ययन केन्द्र में पदस्थ महाविद्यालयीन स्टाफ को विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नानुसार मासिक मानदेय प्रदाय किया जायेगा –

(i) व्यवस्था का प्रथम स्वरूप –

(अ) शासकीय महाविद्यालय का प्राचार्य (पदेन) — रू. 2,000/—

(ब) प्राचार्य द्वारा नामित महाविद्यालय का एक शिक्षक — रू. 3,000/—

(य) महाविद्यालय में पदस्थ एक लिपिक — रू. 1,500/—

(द) महाविद्यालय में पदस्थ एक भृत्य — रू. 1,000/—

<u>या</u>

(ii) <u>व्यवस्था का द्वितीय स्वरूप —</u>

(अ) शासकीय महाविद्यालय का प्राचार्य (पदेन) — रू. 2,000/—

(ब) पूर्व से कार्यरत सहायक समन्वयक — पूर्व निर्धारित मानदेय।

(स) पूर्व से कार्यरत सहायक — पूर्व निर्धारित मानदेय।

यदि प्रथम व्यवस्था "(i)" के अंतर्गत पूर्व से कार्यरत सहायक समन्वयक/सहायक अब कार्यरत नहीं है तो द्वितीय व्यवस्था "(ii)" के अंतर्गत मादेय मान्य होगा।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक अध्ययन केन्द्र को आकस्मिक व्यय हेतु मासिक रू. 1,500/— (एक हजार पांच सौ मात्र) प्रदाय किया जायेगा, जो कि पोस्टेज, इलेक्टिक बिल, स्टेशनरी सहित अन्य व्यय हेतु समायोजित किया जा सकेगा।

5. विश्वविद्यालय प्रत्येक अध्ययन केन्द्र के लिये मूलभूत सुविधा एवं आवश्यक सामग्री वरीयता के साथ उपलब्ध करायेगा, जो निम्नानुसार है —

5.1 आलमीरा — 02 नग (अधिकतम)

5.2 एक कम्प्यूटर सेट — कम्प्यूटर प्रिंटर सहित

5.3 कुर्सी — 05 नग

5.4 टेबल — 02 नग

6. किसी भी अध्ययन केन्द्र के संचालन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। छात्रों की संख्या के आधार पर अध्ययन केन्द्र स्थगित या बंद किया जा सकता है। अध्ययन केन्द्र स्थगित या बंद होने की स्थिति में पदस्थ महाविद्यालयीन स्टाफ को मानदेय प्रदाय नहीं किया जा सकेगा।

7. महाविद्यालय का प्राचार्य अध्ययन केन्द्र संचालन हेतु महाविद्यालय परिसर में कम से कम एक कक्ष उपलब्ध करायेगा।

8. अध्ययन केन्द्र में निम्नानुसार कार्य होगें –

8.1 अध्ययन केन्द्र शासकीय कैलेण्डर अनुसार विश्वविद्यालय आगंतुको एवं छात्रों हेतु खुले रहेंगे।

8.2 आगंतुको एवं छात्रों को विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यकमों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा पाठयकमों से संबंधित जिज्ञासा को शांत कराना।

8.3 विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यकमों में प्रवेश प्रकिया पूर्ण कराना, अध्ययन सामग्री वितरित करना, परीक्षा सम्पादित कराना तथा अन्य ऐसे समस्त कार्य जो केन्द्र के संचालन हेतु जरूरी हो एवं विश्वविद्यालय प्रशासन समय–समय पर तय करें।

9. शासकीय महाविद्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालय/शासकीय उच्चतर विद्यालय में कंडिका 2 एवं 3 के प्रावधानानुसार अध्ययन केन्द्र संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेगा।

——000——

(विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 42 वीं (आपात) बैठक दिनांक 18/07/2015 के प्रस्ताव कमांक 09 में अनुमोदित)

25/07/2015
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर